ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTICE INVITING SUGGESTIONS/OBJECTIONS TO THE FORM OF MODIFICATION OF MASTER PLAN UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION- 9 OF THE REGULATION

No (e-75396)… F. No. TP-21(C)/CE/2023/Vol-111/ - In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 9 of the Andaman and Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994 (No. 7 of 1994), the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands is pleased to propose the following modification in the interest of general public & others and in compliance of the orders of the Hon'ble High Court in the Writ Petition No. 1100/2023 dated 09/01/2024, on the Master Plan for Sri Vijaya Puram (Port Blair) Planning Area, approved and published vide No. 35 dated 01/03/2012 in the Andaman and Nicobar Gazette.

Now, therefore, in exercise of the powers under Sub-Section-(1) of Section 9 of the said Regulation, the Lieutenant Governor (Administrator) is pleased to invite the public suggestions to the said modification(s) within (forty five) 45 days from the date of publication of this notification in the local dailies.

MODIFICATION(S)

The proposed modifications in the Report (Vol-II) and the landuse map of Master Plan for Sri Vijaya Puram (Port Blair) Planning Area-2030 is published in Form-III as per Rule-3 (4) of the Andaman & Nicobar Islands Town & Country Planning Rules, 2005 :-

Sl. No	Page No.	Clause No.	Table No./Serial No./ Map	Description
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	27	4.3.3	Table No.4.3.3 Sl. No.24, Prothrapur, Map No. PBPA/VILLAGE/ PROP/6	The proposed land use zoning of the plot under Survey No.259/31/A/26 of Prothrapur Village shall be read as **"Public & Semi-Public"** in place of Reserved Forests in Map No. PBPA/VILLAGE/PROP/6.

Any objection(s) or suggestion(s) with respect to the aforesaid modification(s) may be submitted to the Town Planner (Chief Engineer, APWD, Nirman Bhawan, Sri Vijaya Puram (Port Blair) in writing within the said period of forty five (45) days from the date of publication of this notification. The objection(s) or suggestion(s) can also be submitted by e-mail at tcpdtcp@gmail.com

Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar islands

By order and in the name of Lieutenant Governor.

Joint Secretary (PWD)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

विनियम की धारा 9 की उप–धारा(3) के अंतर्गत मास्टर प्लान के संशोधन फार्म में सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रण सूचना

संख्या(ई–75396)... एफ.संख्या टी.पी–21(परि)/मु.अ/2023/खंड–111. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियम, 1994 (संख्या 1994 का 7) की धारा 9 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप–राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में अनुमोदित एवं दिनांक 01/03/2012 की संख्या 35 द्वारा प्रकाशित श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर) योजना क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान में आम जनता और अन्य लोगों के हित में और अनुपालन करते हुए तथाा रिट याचिका संख्या 1100/2023 दिनांक 09/01/2024 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार से संबंधित निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं ।

अब, इसलिए, उक्त विनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप–राज्यपाल (प्रशासक) इस अधिसूचना को अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर कहे गए संशोधनों पर लोगों का सुझाव आमंत्रित करते है ।

संशोधन

श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर) नियोजन क्षेत्र–2030 (रिपोर्ट–खण्ड–।।) के मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधनों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना नियम 2005 के नियम–3(4) के अनुसार प्रपत्र–।।। में निम्न अनुसार प्रकाशित किया जाता हैः–

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	खंण्ड संख्या	तालिका क्रमांक/ क्रमांक/मानचित्र	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	63	खण्ड संख्या 5.2.3 का 5.2. 3–डी.	तालिका क्रमांक. 4.3.3, क्रमांक. 24, प्रोथरापुर, मानचित्र संख्या. पीबीपीए/ गॉव/प्रॉप /6	प्रोथरापुर गांव के सर्वेक्षण संख्या 259/31/ए/36 के तहत भूखंड का प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्र मानचित्र संख्या पीबीपीए/गांव/प्रॉप/6 में आरक्षित वन के स्थान पर "**सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक**"के रूप में पढ़ा जाएगा ।

उपरोक्त संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर लिखित में नगर नियोजक (मुख्य अभियंता, अ.लो.नि.वि, निर्माण भवन, श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर) को प्रस्तुत कर सकते हैं।

उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप–राज्यपाल के आदेश एवं उनके नाम से

संयुक्त सचिव (लो.नि.वि)